लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 14/ 2024
GCMS NO. : 2024/71

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–10–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 02.09.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62एफ 366902) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा प्रश्नगत सूचना बताते हुऐ सूचना देने से इन्कार किया है। जिससे अप्रसन्न असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:19 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 09.10.2024 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

आज दिनांक 25.10.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी ने पत्रांक न्याय/ आरटीआई/ 2024/ 636 दिनांक 23.10.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नगत होने से दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी को सूचना प्रदान नही की जा सकती है। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1528 दिनांक 24.09.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजी दी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 02.09.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62एफ 366902) से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई थी। उक्त बिन्दु का अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रतित नही होती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार [illegible]कर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया [illegible] है कि अपने कार्यालय में रेकार्ड उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:19 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:19 IST
Reason: SelfAttested